कार्यालय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़

सूखे एवं अयोग्य वृक्षों की नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय के आदेश दिनांकित 19.01.2024 के अनुपालन में जजशिप अलीगढ़ स्थित सेशन हाउस परिसर में सूख कर जमीन पर गिर पड़े पापूलर, नीम, सागौन आदि अयोग्य वृक्ष जिनका विवरण प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्यानुसार निम्नवत है :-

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई सेमी	डायामीटर	दशा	श्रेणी	मूल्यांकन	धनराशि
1	सागौन	102	3-4	सूखा	अयोग्य	9385 / 4	2347.00
2	सागौन	60	1-2	सूखा	अयोग्य	620 / 4	155.00
3	सागौन	48	1-2	सूखा	अयोग्य	620 / 4	155.00
4	सागौन	45	1-2	सूखा	अयोग्य	620 / 4	155.00
5	नीम	150	4-5	सूखा	अयोग्य	5779 / 4	1445.00
6	पापड़ी	200	6-7	सूखा	अयोग्य	6887 / 4	1722.00
7	शहतूत	130	4-5	सूखा	अयोग्य	3266 / 4	817.00
8	पोपूलर	130	4-5	सूखा	अयोग्य	3266 / 4	817.00
9	पोपूलर	110	3-4	सूखा	अयोग्य	1895 / 4	474.00
10	पोपूलर	115	3-4	सूखा	अयोग्य	1895 / 4	474.00
11	पोपूलर	140	4-5	सूखा	अयोग्य	3266 / 4	817.00
						योग	**9378.00**

उक्त की नीलामी **दिनांक 30.01.2024 को सायं 04:00 बजे जनपद न्यायालय अलीगढ़ परिसर के लाइब्रेरी भवन स्थित सभागार** में की जायेगी । इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन नीलामी की प्रक्रिया में बोली लगा सकता है :-

1. सभी बोलीदाताओं को नीलामी से 02 घण्टे पूर्व केन्द्रीय नजारत, अलीगढ़ में जमानत धनराशि रु० 2,000/- (दो हजार) जमा करना होगा। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम नीलामी नहीं होती है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी ।
2. क्रेता नियमानुसार आय कर एवं स्टाम्प शुल्क जमा करेगा ।
3. वृक्षों की कटाई आरम्भ करने से पूर्व सफल नीलामी–प्राप्तकर्ता को अनुमति–पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर समस्त धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात ही वृक्षों का कटान व निकासी की जा सकती है। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
4. वृक्षों की नीलामी की धनराशि जनपद न्यायालय, अलीगढ़ में तथा कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा नियमानुसार निर्धारित कटान शुल्क, हैमर रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं अभिवहन शुल्क को राजकीय कोष में जमा करने के उपरान्त ही वृक्ष को काटने की अनुमति प्राप्त होगी ।
5. सभी वृक्षों की कटाई, जड़ खुदान क्रेता द्वारा की जायेगी तथा जड़ खुदान के बाद क्रेता द्वारा गड्ढा बन्द करना होगा ।
6. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात नीलामी–प्राप्तकर्ता को वृक्षों तथा कटी हुई लकड़ी की देखभाल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

7. नीलामी–प्राप्तकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से अन्तिम निकास अवधि तक उनके द्वारा किये गये कृत्य से सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की दशा में हुई क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं क्रेता की होगी।
8. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में नीलामी छोड़ी जायेगी ।
9. नीलामी की अन्तिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ का होगा ।
10. माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियों में उचतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है ।
11. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड / पहचान पत्र व स्वप्रमाणित फोटो की प्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा नीलामी के समय मूल दस्तावेज लेकर आना अनिवार्य होगा ।
12. नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय, अलीगढ़ को होगा ।
13. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में वृक्षों की नीलामी द्वारा विक्रय रद्द समझा जायेगा ।

20.1.2024

(सुभाष चन्द्रा-VIII)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
अपर जिला जज, कोर्ट सं०-03
अलीगढ़ ।

Seen, Upload
23/1/24

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1. माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय को सूचनार्थ ।
2. सिविल व फौजदारी बार एसोशियेशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
3. कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु ।
4. जनपद न्यायालय अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु ।
5. वाह्य न्यायालयों एवं ग्राम न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
6. नगर निगम, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु ।
7. भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
8. जिला पंचायत, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
9. केन्द्रीय बस स्टैण्ड, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
10. जिला सूचना अधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ की उक्त विज्ञप्ति / सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में सरकारी दर पर कराने का कष्ट करें ।
11. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ की उक्त विज्ञप्ति / सूचना को https://aligarh.nic.in की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
12. नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर्स को इस अनुरोध के साथ की उक्त विज्ञप्ति / सूचना को जिला न्यायालय, अलीगढ़ की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

20.1.2024

(सुभाष चन्द्रा-VIII)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
अपर जिला जज, कोर्ट सं०-03
अलीगढ़ ।